न्यायालय, अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

आर0ई0आर0 केश नं0–229/16–17

राजीव रंजन भगत बनाम् श्याम सुन्दर राम

2.7.18

–: व्यापादेश :–

वर्त्तमान प्रक्रिया अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय से अंतरित होकर प्राप्त हुआ है। पूर्व में उक्त मामला लोक अदालत में दायर किया गया था, जो PLA सं0–3/12 राजीव रंजन भगत बनाम श्याम सुन्दर राम एवं अन्य के रूप में था।

अभिलेख के अवलोकन तथा विज्ञ सरकारी अधिवक्ता द्वारा सरकार का पक्ष रखा गया। विज्ञ सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि दिनांक–18.08.2015 को अंचल अधिकारी के द्वारा इस भूमि विवाद हेतु श्याम सुन्दर राम तथा श्यामाकान्त भगत, पे0–शिवनाथ भगत को नोटिस किया गया था। उक्त नोटिस एवं आवेदक के आवेदन से प्रतीत होता है कि पूर्ववर्ती जमींदार में से एक स्व0 बंशीधर ढनढनियां ने स्व0 शिवनाथ भगत को दिनांक–08.05.1940 को हुकुमनामा के माध्यम से मौजा–बसुआ नं0–692, दाग नं0–32, कुल रकवा– 03–00–00 धूर भूमि बंदोवस्त किया गया। उक्त हुकुमनामा आवेदक के आवेदन के साथ संलग्न है, जिस पर उनके अधिवक्ता का दिनांक–04.03.2014 की तिथि से सत्यापन है। विवादित भूमि ,खतियान में गैर मजरूआ परती कदीम, कुल रकवा– 169–05–12 धूर है। दिनांक–09.07.2014 को तथा 30.08.2014 को आवेदक के द्वारा दाखिल आवेदन में आवेदन में उल्लेख है कि "आवेदक और विपक्षी के बीच सुलहनामा हो गया है एवं पूर्व सा सौहार्दपूर्ण वातावरण बन गया है।" उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि अब जमीन संबंधी कोई विवाद नहीं है एवं वाद लड़ना नहीं चाहते हैं। इससे प्रतीत होता है कि उभय पक्ष सरकारी भूमि पर कब्जा करने हेतु उक्त वाद लाये हैं। पूर्व में PLA वाद के माध्यम से मौजा–महुआरा माल में 01–06–04 धूर भूमि को अपने नाम से किये जाने का मामला भी सामने आया है, जिसकी जांच अंचल अधिकारी, महागामा कर रहे हैं। आगे बताते हैं कि उक्त हुकुमनामा के अवलोकन से प्रतीत होता है कि यह नियमानुसार निर्गत नहीं है तथा द्वितीय पक्ष द्वारा भी किसी प्रकार का हुकुमनामा आदि दाखिल नहीं किया जाना यह बतात है कि उभय पक्षों द्वारा एन्टी–डेटेड/अनिबंधित हुकुमनामा के आधार पर सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया। उन्होंने आग्रह किया है कि इस संबंध में विस्तृत जांच हेतु अंचल अधिकारी, महागाम को आदेशित किया जाय।

सरकारी अधिवक्ता के द्वारा रखे गये पक्ष को सुनने तथा अभिलेख के अवलोकन से प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि विवादित भूमि मौजा–बसुआ नं0–692, दाग नं0–32, कुल रकवा– 03–00–00 धूर गैर मजरूअ खाते की भूमि है। प्रथम पक्ष द्वारा दाखिल हुकुमनामा संदेहास्पद है तथा उनके द्वारा कोई दान–पत्र की प्रति समर्पित नहीं की गई है, जिससे यह ज्ञात हो सके कि आवेदक के पिता ने मवेशी अस्पताल को 03 कट्ठा भूमि दान की थी। दान के उपरांत उक्त भूमि का स्वत्व आवेदक के पास कैसे रह गया, यह भी स्पष्ट नहीं होता है एवं उनके द्वारा विपक्षी से वाद हेतु सुलह कर लेना बताता है कि विपक्षी के साथ मिलकर उक्त भूमि पर वे अवैध दखल करना चाहते हैं। बिहार सरकार राजस्व एवं भुमि सुधार विभाग के पत्रांक–08/खा0म0 नीति–10/90–198, दिनांक–25.05.1990 में निदेश है कि ऐसे मामलों के लिए भूतपूर्व मध्यवर्ती के द्वारा की गई

बंदावस्ती की समीक्षा जमींदारी विवरणी (रिर्टन) से की जाय। किसी–किसी मा. में भूतपूर्व मध्यवर्ती, में या तो विवरणी (रिर्टन) दाखिल नहीं किया था या अब विवरणी उपलब्ध नहीं हो रहा है, उसे मामलों में भूतपूर्व मध्यवर्ती द्वारा रैयतों को दी गई लगान रसीद की जांच करने के साथ ही साथ इस बात की भी समीक्षा की जाये कि सरकारी रसीद कब से कट रही है। यदि सरकारी रसीद जमींदारी सन्निहित के काफी वर्षो के बाद 1961–62 के बाद से कटना शुरू हुई है, तो यह एक संदेहात्मक मामला होगा। और ऐसे मामले में गहन छान–बीन की जाये, कि किस आधार पर और किसके आदेश से सरकारी रसीद काटी गई।'' साथ ही बिहार सरकार राजस्व एवं भुमि सुधार विभाग के पत्रांक–1246, दिनांक–26.12. 1997 के अनुसार '' भूतपूर्व जमींदारों के बिहार भूमि सुधार के उद्देश्यों को विफल करने के उद्देश्य से 01.01.1946 के बाद की गई बंदोवस्ती को राज्य सरकार रद्द कर सकता है।'' उभय पक्षों का जमाबंदी खोला गया है या नहीं यह स्पष्ट नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि फर्जी हुकुमनामा के माध्यम से एक सुनियोजित तरीके से सरकारी भूमि पर अवैध दखल का प्रयास किया जा रहा है। उपायुक्त, संथाल परगना, दुमका के आदेश सं0–3473, दिनांक–21.10.1957 के द्वारा परती भूमि को बंदोवस्त करने का अधिकार अनुमंडल पदाधिकारी को सन्नहित किया गया था तथा निदेशित था कि संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–28 के तहत् अनुमंडल पदाधिकारी कार्रवाई करेंगे, परन्तु इस मामले में इसका अनुपालन हुआ है, ऐसा प्रतीत नहीं होता है।

नियमानुसार जमींदारों को ऐसी भूमि बंदावस्ती जिस भूमि का मूल्य 100.00 रू0 अधिक था, को इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा–17 के अन्दर निबंधित करनी चाहिए। अतः ऐसे सादे हुकुमनामा का कोई बैध आधार नहीं है तथा इस तरह के मामलों पर कार्रवाई हेतु बिहार सरकार राजस्व एवं भुमि सुधार विभाग के पत्रांक–914, दिनांक–09.12.1998 के द्वारा निदेश प्रसारित है कि '' बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा–4एच के अंतर्गत अगर भूतपूर्व जमींदारों ने बिहार भूमि सुधार के उद्देश्यों को विफल करने या सरकार को घाटा या क्षति पहुंचाने के उद्देश्य या निजी लाभ लेने के उद्देश्य से बंदोवस्ती या हुकुमनामा निर्गत किया है और उसके आधार पर जमाबंदी खोल दी गई है, तो इस संबंध में जांच समाहर्त्ता या उपायुक्त धारा–4एच के अंतर्गत कर सकते हैं और अंतिम आदेश पारित कर सकते हैं। लेकिन उपरोक्त धारा–4एच में यह भी प्रावधान है कि ऐसे आदेश पर राज्य सरकार की सम्पुष्टि प्राप्त करने के बाद भी रद्द की जाये अथवा जमीन को दखल कब्जा में लिया जाय। '' स्पष्ट है कि ऐसे मामलों में अंतिम निर्णय विभागीय स्तर पर होना है एवं वर्त्तमान मामला प्रथत दृष्टया संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 के तहत् उच्छेद वाद का न होकर अवैध जमाबंदी संधारण कर सरकारी भूमि के अतिकमण का मामला प्रतीत होत है।

तद्नुसार अंचल अधिकारी, महागामा को इस हेतु अद्यतन जांच प्रतिवेदन देने तथा अग्रतर कार्रवाई करने का निदेश दिया जाता है। कार्यालय सहायक को निदेश दिया जाता है कि वे अपर समाहर्त्ता, गोड्डा को बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा–4एच के अंतर्गत कार्रवाई करने हेतु पत्र प्रसारित करें।

Digitally signed by ALOK WARAN KESHRI
Date: 2025.01.03 17:24:54 +05:30
Location: 192.168.1.51

हस्ताक्षरित।

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।